सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 161/2020 दायर दिनाँक 20.07.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रेमाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज.।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री लाल सिंह गोदारा वकील वादी

दिनाँक 24.08.2021

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि प्रार्थी प्रेमाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी खुनखुना की खातेदारी व कब्जा काश्त की राजस्व भूमि खसरा सं0 221 रकबा 0.65 हैक्ट., खसरा सं0 339 रकबा 2.27 हैक्ट., खसरा सं0 345 रकबा 1.17 हैक्ट. कुल रकबा 4.09 हैक्ट. वाके खुनखुना, पटवार हल्का खुनखुना तहसील डीडवाना के राजस्व क्षैत्र में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी व कब्जा काश्त वादी प्रेमाराम पुत्र रामूराम के नाम चला आ रहा है।

यह है कि राजस्व अभिलेख में वादी की उक्त भूमि के पुराने खसरा सं0 182 रकबा 14 बीघा, खसरा सं0 186 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 693/106 रकबा 04 बीघा कुल रकबा 25 बीघा 05 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 221 रकबा 0.65 हैक्ट., खसरा सं0 339 रकबा 2.27 हैक्ट., खसरा सं0 345 रकबा 1.17 हैक्ट. कुल रकबा 4.09 हैक्ट. बने है यद्यपि उक्त खसरा सं0 345 रकबा 1.17 भूमि का रकबा तो 1.17 हैक्ट. में से 0.02 हैक्टर का रास्ता नक्शा ट्रेस में बता दिया। यद्यपि उक्त गलत रास्ता की खातेदारी तो वादी के नाम ही रखी गई और अधिकार भी वादी में ही निहित रहे। परन्तु उक्त नये खसरा सं0 345 को वादी की खातेदारी का रास्ता बताने से वादी के विधिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना हो चुकी है यद्यपि यह सामान्य राजस्व अभिलेख की त्रुटि मात्र है। परन्तु उक्त गलत लिपिकीय त्रुटि व राजस्व अभिलेख की भूल की वजह से वादी के अभिलेख पर संकट के बादल छा गये है। वादी के उक्त खातेदारी की भूमि जिसके नये खसरा सं0 345 रकबा 1.17 हैक्ट. बताये गये है में से कथित [illegible] 345 रकबा 1.17 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. का रास्ता की ट्रेस [illegible] गये गये कथित गलत रास्ता की भूमि की खातेदारी वादी के [illegible] उक्त खसरा सं0 345 रकबा 1.17 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. [illegible] रास्ता हटाकर उक्त भूमि को खसरा सं0 345 रकबा 1.17 हैक्ट. की बारानी 02 में मिला लिया जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.20 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि खसरा सं0 345 रकबा 1.17 हैक्ट. में से 0.02 हैक्टर का रास्ता ट्रेस नक्शा में अंकित किया गया है। जिसे पूर्ण रूप से विलोपित किया जाना व राजस्व अभिलेख में संशोधित किया जाना आवश्यक है। मौके व स्थिति की मानवीय भूल व लिपिकीय त्रुटि है। जिसके प्रमुख आधार इस प्रकार है–

यह है कि मौके की वास्तविक स्थिति पर न तो कभी ऐसा रास्ता विद्यमान रहा, न होने का प्रश्न है जो पुराने राजस्व नक्शें में स्पष्ट है। तक किस आधार पर नक्शा में खसरा सं0 345 रकबा 1.17 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर का रास्ता ट्रेस नक्शा में अलग से दर्शा कर गलत रूप से रास्ता की रेखाएं खींच दी गई जो रेखाएं नक्शा से हटायी जाने योग्य है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है–

यह है कि वादी प्रेमाराम पुत्र रामूराम की राजस्व भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 1.17 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर का रास्ता नक्शा ट्रेस में बता दिया। जो राजस्व नक्शो में व अभिलेख में दर्शित है, में से बताया गया 0.02 हैक्टर गै0मु0 रास्ता की प्रविष्टी को व नक्शा पूर्वानुसार बारानी 02 में अंकित करने की डिक्री जारी करने की कृपा करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष्य वाद में वादी प्रेमाराम पुत्र रामूराम ने शपथ पत्र पेश हुए। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1174 दिनांक 07.08.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम खुनखुना के खसरा सं0 345 के गै0मु0 रास्ता 0.02 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज डॉट–डॉट को हटाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद खुनखुना में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 345 रकबा 1.17 हैक्टर में 0.02 हैक्टर वर्तमान राजस्व रकर्ड में दर्ज डॉट–डॉट को हटाकर पूर्वानुसार राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.20 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक **24.08.2021** को खुले ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **161/2020** दायर दिनाँक **20.07.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रेमाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज.।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **24.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लाल सिंह गोदारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद खुनखुना में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 345 रकबा 1.17 हैक्टर में 0.02 हैक्टर वर्तमान राजस्व रकर्ड में दर्ज डॉट–डॉट को हटाकर पूर्वानुसार राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत....................–...................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.08.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.20 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner